वर्ष 2007-08 के दौरान नाबार्ड के कामकाज की उल्लेखनीय बातें

वर्ष 2007-08 के वित्तीय परिणाम

वर्ष 2007-08 के दौरान नाबार्ड ने अपने व्यावसायिक परिचालनों में पिछले वर्ष के 17% की तुलना में 21% की वृद्धि दर्ज की. 31 मार्च 2007 के रु. 81220 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2008 को तुलन-पत्र की राशि रु. 98500 करोड़ हो गई.

व्यवसाय के विभिन्न घटकों में उल्लेखनीय है राज्य सरकारों को ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए दिए गए ऋण. राज्य सरकारों को आरआईडीएफ से प्रदत्त ऋणों में 31 मार्च 2007 के रु. 20005 से बढ़कर 31 मार्च 2008 को रु. 30650 करोड़ हो गया अर्थात् 53% की वृद्धि हुई. फसली ऋणों के लिए अल्पावधि पुनर्वित्त में 18% की वृद्धि (रु. 14758 करोड़ से रु. 17382 करोड़) दर्ज की गई. निवेश ऋण पुनर्वित्त रु. 34848 करोड़ रहा. संवितरण की दृष्टि से ग्रामीण वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त और आरआईडीएफ के लिए राज्य सरकारों को ऋण में 30% (रु. 29792 करोड़ से रु. 38965 करोड़) की उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई देती है.

वर्ष 2007-08 के दौरान नाबार्ड की निधियों के स्रोतों में अपनी इक्विटी और विशिष्ट उद्देश्य से गठित निधियों के अलावा मुख्यतः वाणिज्य बैंकों द्वारा उनके कृषि और प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों में कमी के समक्ष आरआईडीएफ में अंशदान तथा बाजार से उधार ली गई निधियाँ शामिल हैं. नाबार्ड के 31 मार्च 2007 केबाजार से लिए गए बकाया उधार रु. 32146 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2008 को बढ़कर रु. 33381 करोड़ (आरआईडीएफ जमाराशियों को छोड़कर) हो गए. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अल्पावधि पुनर्वित्त परिचालनों के लिए सामान्य ऋण व्यवस्था को रोक देने से नाबार्ड को निधि की कमी का सामना करना पड़ रहा है. भारत सरकार ने चूँकि नाबार्ड को आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के तहत आयकर से छूट के साथ नाबार्ड रूरल बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी है और वर्ष 2008-09 के केंद्रीय बजट में रु. 5000 करोड़ के अल्पावधि (मौकृप) निधि की स्थापना की घोषणा भी की है. इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने नाबार्ड को सहकारी बैंकों को 3% और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 4.5% की रियायती दर पर दिए जाने वाले फसली ऋणों के लिए रियायती पुनर्वित्त दर और बाजार लागत के बीच अंतर को पूरा करने के लिए ब्याज सहायता भी प्रदान की है. नाबार्ड की इस रियायती निधि सहायता सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को किसानों को 7% की दर पर फसली ऋण प्रदान किए हैं.

कारोबार की प्रमात्रा में वृद्धि और विवेकपूर्ण निधि प्रबंधन के फलस्वरूप नाबार्ड अपना सकल परिचालन अधिशेष (जो वर्ष 2006-07 में रु. 1169 करोड़ था) बढ़ाकर रु.1470 करोड़ के स्तर तक ले जाने में समर्थ रहा. वर्ष 2007-08 के दौरान करों के लिए प्रावधान कर देने के बाद निवल परिचालन अधिशेष रु.972 करोड़ रहा जो वर्ष 2006-07 के दौरान यह रु.819 करोड़ था. (वर्ष 2007-08 के आँकड़े अभी सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अधिप्रमाणित नहीं किए गए हैं).

कारबार और विकास के प्रमुख क्षेत्रों में नाबार्ड के कामकाज से संबंधित उल्लेखनीय बातों की जानकारी नीचे दी जा रही है.

<u>ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीफ)</u>

वर्ष 2007-08 के केंद्रीय बजट में आरआईडीएफ के अंतर्गत रु.16000 करोड़ (भारत निर्माण के अंतर्गत रु.4000 करोड़ की राशि को मिलाकर) के कॉर्पस का आबंटन किया गया था. आरआईडीएफ के रु.12000 के कॉर्पस के समक्ष विभिन्न राज्य सरकारों को कुल रु.12795 करोड़ की राशि मंजूर की गई जिसके फलस्वरूप आरआईडीएफ I से लेकर आरआईडीएफ XIII अंतर्गत की गई मंजूरियों की संचयी राशि रु.82225 करोड़ हो गई. इसके अलावा भारत निर्माण के अंतर्गत की गई मंजूरियों की संचयी राशि रु.8000 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई.

वर्ष 2007-08 के दौरान _आरआईडीएफ का क्षेत्रवार कवरेज देखने से पता चलता है कि इसकी 50% राशि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों (सिंचाई परियोजनाओं के लिए मंजूर 37% राशि को मिलाकर) के लिए मंजूर की गई, 36% राशि ग्रामीण संपर्क साधनों (सड़क एवं पुल) के लिए, 16% सामाजिक क्षेत्र (ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा और पेय जल) में निवेश के लिए और 1% राशि बिजली के लिए. चार राज्यों - आंध्र प्रदेश, कार्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के उन 31 आपदाग्रस्त जिलों में जहाँ प्रभावित किसानों के लिए भारत सरकार का पुनर्वास पैकेज शुरू किया गया है, वहाँ मृदा(मिट्टी) एवं जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन आदि पर विशेष जोर दिया गया. इन जिलों में समस्त परियोजनाओं के लिए समग्र रूप से रु.2168 करोड़ की राशि मंजूर की गई.

वर्ष 2007-08 के दौरान _आरआईडीएफ के अंतर्गत संवितरित राशि (भारत निर्माण को मिलाकर) रु.12535 करोड़ हो गई जो वर्ष 1996-97 में आरआईडीएफ की शुरुआत से अब तक किए गए संवितरणों में सबसे ज़्यादा है. 31 मार्च 2008 तक किए गए संवितरणों की संचयी राशि रु.50095 थी. वर्ष 2007-08 के केंद्रीय बजट में आरआईडीएफ (भारत निर्माण को मिलाकर) का कॉर्पस बढ़ाकर रु.18000 करोड़ कर दिया गया है.

<u>ग्रामीण वित्त संस्थाओं को मजबूत बनाना</u>

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं ने कुल संवितरित ऋण के 30% से भी कम ऋण दिया किन्तु बैंकिंग प्रणाली ने 50% से भी अधिक कृषि ऋण दिया. प्रोफेसर वैद्यनाथन समिति ने ग्रामीण सहकारी ऋण ढाँचे का पुनः पूँजीकरण करके और सहकारी बैंकों में अपेक्षित सुधार लाने के लिए सख्त से सख़्त नियम व कानून बनाकर उसे मजबूत बनाने की सिफारिश की है. भारत सरकार ने पुनः पूँजीकरण की सिफारिश को अनुमोदित कर दिया है और सुधारों के कार्यान्वयन का दायित्व नाबार्ड को सौंप दिया है. देश के 93% जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और 95% प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को शामिल करते हुए 19 राज्यों ने भारत सरकार और नाबार्ड के साथ सहमति ज्ञापन निष्पादित किया है और कुछ राज्यों में संबंधित राज्य सहकारी समितियों के अधिनियमों में संशोधन करके सुधार की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की विशेष लेखा परीक्षा की जा चुकी है और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्मिकों / बोर्ड के चुने हुए सदस्यों आदि को प्रशिक्षण दिया जा चुका है.

सहकारी संस्थाओं के लिए समान लेखांकन प्रणाली और प्रबंध सूचना प्रणाली विकसित की गई है और अभी तक राज्यों को रु.3325 करोड़ की निधि भारत सरकार से अवमुक्त की गई है. दीर्घावधि सहकारी ऋण ढाँचे में सुधार लाने और पुनः पूँजीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्यों के बीच मोटे तौर पर सहमति हो गई है, जैसा कि वर्ष 2008-09 के केन्द्रीय बजट में घोषित किया गया है.

भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन प्रायोजक बैंक-वार करने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी. यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है. कुल 196 ग्रामीण बैंकों का समामेलन प्रायोजक बैंक-वार करने से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटकर अब 89 रह गई है. समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का आकार पर्याप्त बड़ा है जिनके पास बड़े आकार के ऋण व निवेश पोर्टफोलियो हैं. तथापि, 27 बैंकों की मालियत अब भी नकारात्मक है. भारत सरकार ऋणात्मक मालियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः पूँजीकरण करने के लिए सहमत है. नई जिम्मेदारियाँ लेने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का क्षमता निर्माण करना, नाबार्ड के लिए एक प्रमुख चुनौती है. डॉ. सी.रंगराजन की अध्यक्षता में गठित वित्तीय समावेशन समिति ने भी यह पाया है कि जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोग अधिक हैं, उनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपस्थिति अधिक है और ऐसे क्षेत्रों में एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है. नाबार्ड को आने वाले समय में निम्नलिखित साधनों से सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहायता करने में बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी.

- सूक्ष्म वित्तपोषण और वित्तीय समावेशन के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करना और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग देना.
- निधि सहायता प्रदान करना, और
- प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करना.

वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के तहत ग्रामीण ऋण संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायती दर पर पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड को रु.784 करोड़ की ब्याज सहायता प्रदान की तथा सहकारी बैंकों को रु.547 करोड़ की सीधी ब्याज सहायता प्रदान की और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 7% वार्षिक ब्याज दर पर फसल ऋण देने के लिए रु.3325 करोड़ की राशि पुनः पूँजीकरण निधि (03 अप्रैल 2008 को) के रूप में दी. इसके अलावा, ऋणात्मक मालियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी पुनः पूँजीकरण सहायता प्रदान की जा रही है.

<u>उत्पादन ऋण हेतु पुनर्वित्त</u>

नाबार्ड अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायती दर पर पुनर्वित्त प्रदान करता है जिससे वे फसल ऋण देने हेतु अपने संसाधनों को बढ़ा सकें. वर्ष 2007-08 के दौरान इस उद्देश्य हेतु पुनर्वित्त में 18% की वृद्धि हुई जोकि कुल राशि रु.17,382 करोड़ की थी. भारत सरकार द्वारा दिए

जाने वाले 2% की ब्याज सहायता के साथ दी गई पुनर्वित्त सहायता की वजह से किसानों को 7% वार्षिक ब्याज दर पर रु.3 लाख तक के फसल ऋण का संवितरण किया गया.

निवेश ऋण पुनर्वित्त

नाबार्ड वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निवेश ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है. वर्ष 2007-08 के दौरान इस उद्देश्य हेतु रु.9074 करोड़ की कुल पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई. नाबार्ड अन्य बैंकों के साथ मिलकर कृषि प्रसंस्करण, पशुपालन, दुग्ध प्रसंस्करण आदि जैसे क्षेत्रों में सहवित्तपोषण व्यवस्था के तहत परियोजनाओं का वित्तपोषण करता रहा है.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी योजना)

अगस्त 1998 में नाबार्ड ने खेती तथा निवेश प्रयोजनों के लिए सम्मिश्र ऋण के रूप में किसानों को लचीले, बिना झंझट और किफायती ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट योजना बनाई थी. वर्ष 2007-08 के दौरान 29.87 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए जिससे 31 जनवरी 2008 को जारी किए गए कार्डों की संचयी संख्या 7.06 करोड़ हो गई. किसानों को जारी कुल कार्डों में से सहकारी बैंकों का हिस्सा 49% रहा. इसमें वाणिज्य बैंकों का हिस्सा 37% और क्षेग्रा बैंकों का 14% रहा.

सूक्ष्म वित्त (स्वयं सहायता समूह)

नाबार्ड ने 1992 में 500 प्रायोगिक समूहों के साथ स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ने के कार्यक्रम को शुरू किया था जो आज विश्व की सबसे बड़ी सूक्ष्म वित्त प्रणाली के रूप में उभरकर सामने आई है. अभी तक 44.60 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा गया है जिसके अंतर्गत 5.8 करोड़ गरीब परिवार ने बैंकों में बचत खाते खोले हैं. ऐसे समूहों में 90% से अधिक महिला समूह हैं. डॉ. सी.रंगराजन की अध्यक्षता में गठित वित्तीय समावेशन समिति ने पाया है कि स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने का कार्यक्रम गरीबों को सतत रूप से वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने की कार्यनीति का एक प्रमुख अंग है. वर्ष 2007-08 के दौरान लगभग 4.20 लाख स्वयं सहायता समूहों को रु.2994 करोड़ के बैंक ऋण प्रदान किए गए. वर्ष 2007 में नाबार्ड ने बैंकों को रु.16.15 करोड़ की पुनर्वित्त राशि प्रदान की है जो पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है. यह प्रसन्नता की बात है कि स्वयं सहायता समूहों बैंकों से जोड़ने का जो कार्यक्रम दक्षिण क्षेत्र में सशक्त रूप में मौजूद था वह अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है. वर्तमान में स्वयं सहायता समूहों को ऋण से जोड़ने के मामले में दक्षिण से इतर अन्य राज्यों का हिस्सा 50% से अधिक हो गया है.

पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के अलावा नाबार्ड अपने सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी नीधि से सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पूँजी / इक्विटी सहायता भी प्रदान करता है और स्वयं सहायता समूहों के संघों और गैर-

सरकारी संगठनों को सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में नए मॉडलों और नवोन्मेषों को प्रोत्साहित करने के लिए भी सहायता प्रदान करता है.

गैर-सरकारी संगठन

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 2003 में कृषि परिवारों की ऋणग्रस्तता पर किए गए एक सर्वेक्षण के आकलन के अनुसार लगभग 40% ग्रामीण परिवार गैर-खेतिहर हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि कार्य करते हैं. नाबार्ड ने इस दौरान ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के संवर्धन के लिए एक सशक्त नीति बनाई है. वर्ष 2007-08 के दौरान नाबार्ड ने ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के लिए बैंकों को रु. 2748 करोड़ (कुल दीर्घावधि पुनर्वित्त का 30.6%) पुनर्वित्त सहायता दी है जिसमें ग्रामीण आवास को सहायता देने के लिए रु.756 करोड़ शामिल है. नाबार्ड ग्रामीण युवकों को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए भी सक्रिय है. इसने दस्तकारों के ग्रामीण क्लस्टरों, ग्रामीण हाटों और ग्रामीण बाजारों को भी सहायता दी. संवर्धनात्मक और विकासात्मक कार्यों के साथ पुनर्वित्त सहायता के माध्यम से नाबार्ड ने ग्रामीण दस्तकारों और उद्यमियों की ऋण ग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय सुधार लाने में सहयोग दिया है.

कृषक क्लब

कृषक क्लबों के माध्यम से प्रौद्यागिकी उपलब्ध कराने में नाबार्ड ने अच्छी पहल की है. इस समय नाबार्ड 25000 कृषक क्लाबों को सहायता दे रहा है जिनकी संख्या 1 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. राज्य सरकारें, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, बैंक आदि नाबार्ड के इस प्रयत्न में शामिल होंगे और इस प्रक्रिया को सहायता देने की दृष्टि से नाबार्ड ने रु.25 करोड़ से एक प्रौद्योगिकी अंतरण निधि की स्थापना की है.

वित्तीय समावेशन

डॉ.सी.रंगराजन की अध्यक्षता में गठित वित्तीय समावेशन समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2008 में प्रस्तुत की है. समिति ने कई सिफारिशें की हैं जिससे नाबार्ड का उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ गया है. समिति ने राष्ट्रीय वित्त समावेशन योजना को एक मिशन के रूप में कार्यान्वित करने की सिफारिश की है.

भारत सरकार पहले ही समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर चुकी है जिसमें दो वित्तीय समावेशन निधियाँ गठित करने के लिए कहा गया है. ये हैं - संवर्धन और विकास निधि तथा प्रौद्योगिकी अंगीकरण निधि. ये दोनों निधियाँ नाबार्ड को सौंपी गई हैं. राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना को कार्यान्वित करने तथा नाबार्ड को सौंपी गई दोनो निधियों को परिचालनगत बनाने की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी नाबार्ड की है. नाबार्ड की मुख्य भूमिका यह होगी कि वह सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बिजनेस कॉरेस्पॉण्डेंट तथा फेसिलिटेटर मॉडलों तथा प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को अपनाने के लिए सहायता

दे. सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में इस प्रक्रिया को लागू करने की दृष्टि से नाबार्ड के लिए अगले तीन से पाँच वर्ष चुनौती भरे होंगे.

<u>2008-09 के लिए कारोबार योजना</u>

सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों द्वारा जारी फसली ऋणों के लिए अल्पावधि पुनर्वित्त हेतु नाबार्ड ने रु.22000 करोड़ का बजट तैयार किया है. निवेश ऋण के मामले में नाबार्ड का पुनर्वित्त सहयोग लगभग रु.9500 करोड़ होगा जिसमें थ्रस्ट एरिया और वित्तीय सेवाओं से बहुत अधिक वंचित क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाएगाआरआईडीएफ की राशि भी बढ़ाकर रु.18000 करोड़ कर दी गई है जिसमें रु.4000 करोड़ भारत निर्माण से संबंधित है. इसका पूरा उपयोग किया जाएगा.

उपर्युक्त वित्तीय आयामों के अलावा आने वाले वर्षों में नाबार्ड खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं को दूर करने, वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने, वित्तीय समावेशन योजना के तहत उत्तरदायित्व निभाने और बढ़ी हुई राशि के साथ आरआईडीएफ को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने पर विशेष ध्यान देगा.

<u>नैबकॉन्स</u>

नाबार्ड अपने पुनर्वित्त कार्यों के अलावा बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड), नैबकॉन्स इत्यादि जैसे संस्थानों को प्रोत्साहित करता है. बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान अपने ग्राहक संस्थानों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है. नैबकॉन्स नाबार्ड का एक हिस्सा है जो परामर्श देने का कार्य करता है. पिछले वर्ष रु.9.45 करोड़ की तुलना में नैबकॉन्स ने रु.10.02 करोड़ अर्जित किया है. वर्ष के दौरान इसने 350 परामर्शी कार्य किए हैं जिनमें भारत सरकार के 266, राज्य सरकार के 26, कारपोरेटों के 19 और व्यक्तियों तथा अन्य के 39 परामर्शी कार्य शामिल हैं.